# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 95/2021 दायरा दिनांक : 20.07.2021

उनवान

1– कमला बाई आयु 42 वर्ष पत्नि श्री कालूलाल, जाति बंजारा

2– गीता बाई आयु 32 वर्ष पत्नि श्री धनराज, जाति बंजारा

3– दांखाबाई आयु 37 वर्ष पत्नि श्री पृथ्वीराज, जाति बंजारा

4– मोनाबाई आयु 36 वर्ष पत्नि श्री चरण सिंह, जाति बंजारा

निवासीगण चारपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां

5– ममताबाई आयु 42 वर्ष पत्नि श्री ऋषिराज, जाति गूर्जर, निवासी सरसोदिया, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांटगण

बनाम

1– सुशीला आयु 54 वर्ष पत्नि श्री रामस्वरूप सोनी

2– सीमा आयु 42 वर्ष पत्नि श्री रामरतन सोनी

जति सुनार, निवासी मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

3– हेदर खां आयु 62 वर्ष पुत्र श्री अकबर खां, जाति मुसलमान, निवासी मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — अभिभाषक श्री बृजराज सिंह चौहान अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिससे वाद संख्या — 32/2017 वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 खारिज किया गया।

**निर्णय** **दिनांक : 22.02.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि—

2 आराजी खसरा नम्बर 1845/2803 रकबा 0.1800 हेक्टर, खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.2600 हेक्टर, खसरा नम्बर 1853 रकबा 4.2500 हेक्टर, खसरा नम्बर 1856/2937 रकबा 0.1500 हेक्टर किता 4 कुल रकबा 4.8400 हेक्टर माल चारपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 3 सम्वत 2069 ता 72 वादनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात को अब के बाद इस वाद पत्र में विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

3 वादनीगण को मुताबिक जमाबंदी संयुक्त रूप से 14/33 हिस्सा है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4 वादनीगण विवादित आराजीयात को अब अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त में नहीं रखना चाहती तथा अपना हिस्सा पृथक करवाना चाहती है। वादनीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 से वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित विवादित आराजीयात का तकास्मा करने का निवेदन किया था लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया, न ही बंटवारा करवाया। इन हालात में वादनीगण के लिये प्रस्तुत वाद लाना मामले के तथ्यों परिस्थितियों में नितान्त आवश्यक हो गया है।

5 वाद कारण प्रथम बार दिनांक 02.03.2017 को वादनीगण द्वारा सहखातेदारान से विवादित आराजीयात का तकास्मा करने का निवेदन करने के बावजूद प्रतिवादीगण के न मानने व सहमति के आधार पर तकास्मा न करने पर उत्पन्न हुआ लिहाजा यही तिथि बिना मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है।

6 वाद का मूल्याकंन वास्ते चाहने बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के मुजब निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।

7 विवादित आराजीयात मौजा चारपुरा, तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में वाके है तथा वाद कारण भी विवादित आराजीयात को लेकर उत्पन्न हुआ लिहाजा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है।

8 अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादनीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1845/2803 रकबा 0.1800 हेक्टर, खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.2600 हेक्टर, खसरा नम्बर 1853 रकबा 4.2500 हेक्टर, खसरा नम्बर 1856/2937 रकबा 0.1500 हेक्टर किता 4 कुल रकबा 4.8400 हेक्टर माल चारपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान का वादीगण एवं सहखातेदारान प्रतिवादीगण के मध्य इस कदर विभाजन किया जावे कि वादनीगण को उक्त आराजीयात में से अच्छी में से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात में हिस्सा 14/33 प्राप्त हो जावे, वादनीगण के हिस्से में जो आराजीयात आवे उसे सुपुर्द वादनीगण किया जाकर वादनीगण के नाम की पृथक से जमाबंदी मुर्तीब की जाकर राजस्व रेकार्ड में तदानुसार अमल दरामद किया जावे।

9 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

10 प्रतिवादी कम 1 ल 5 ने यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व 151 जा0 दी0 का इस आशय का पेश किया है कि वादीगण/अप्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि संयुक्त खाते की कृषि आराजीयात जिसका खसरा नम्बर 1845/2803 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 1853 रकबा 4.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 1856/2937 रकबा 0.15 हेक्टर किता 4 कुल रकबा 4.84 हेक्टर माल चारपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां, राजस्थान में है जिसमें से वादीगण ने स्वयं का प्रत्येक का 14/33, 14/33 हिस्से को विभाजन करवाने तथा अपने अपने खाते दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया था जिस पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर तलब किया जिस पर पत्रावली दिनांक 28.03.2017 से लगायत 09.05.2019 तक तलबी में चलती रही तथा दिनांक 09.05.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड करवाने हेतु आदेशित किया गया था । आगामी पेशी दिनांक 13.06.2019 नियत की गई थी।

11 वादीगण ने आदेशिका दिनांक 09.05.2019 के मुताबिक प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 के कोई रजिस्टर्ड लिफाफा एवं तलबाना पेश किये हो ऐसा पत्रावली पर अंकन नहीं है, ना ही प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 को माननीय न्यायालय के सम्मन ही प्राप्त हुए, लेकिन दिनांक 13.06.2019 को प्रतिवादीगण की तामील उचित मानते हुए एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी,

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जबकि पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस दिनांक को रजिस्टर्ड ए. डी. प्रतिवादीगण को की गई तथा किस दिनांक को प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक प्राप्त हुई। ऐसा अंकन पत्रावली पर नहीं है, वैसे भी रजिस्टर्ड डाक से तलबी डाक जारी होने के 30 दिवस बाद मानी जावेगी। पत्रावली पर ऐसा अंकन नहीं है तथा हम प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 को न्यायालय के कभी नोटिस प्राप्त नहीं हुए तथा वादीगण ने माननीय न्यायालय को गलत सूचना देकर दिनांक 13.06.2019 को एक तरफा कार्यवाही करवा ली तथा दिनांक 14.08.2019 को एक तरफा डिक्री एवं निर्णय पारित की गई, जबकि माननीय न्यायालय की आदेशिका में डिक्री पारित करने की तारीख 07.08. 2019 अंकित है, इस प्रकार उपरोक्त डिक्री व निर्णय दिनांक 14.08.2019 एक तरफा हम प्रतिवादीगण को बिना सुने पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

12 माननीय न्यायालय के द्वारा जारी सम्मानों की कभी भी जानकारी हम प्रतिवादी नम्बर 1 ल 5 को नहीं हुई है, लेकिन न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08. 2019 को एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित किया है, जो हमें बिना सुने पारित हुआ है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को सुने बिना निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया जाना चाहिए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2019 को डिक्री व निर्णय पारित हुआ है वह एक तरफा हुआ है। इसलिए प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक है, जिससे वह न्यायालय के समक्ष अपना बचाव व साक्ष्य रख सके, जिससे कि न्यायालय को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलेगी इसलिए प्रार्थीगण को सुना जावे तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.3019 निरस्त किया जावे।

13 वादीगण द्वारा न्यायालय के आदेशिका दिनांक 09.05.2019 के तहत रजि0 लिफाफा तलबाना एवं सम्मन न्यायालय में पेश किए और किस दिनांक को प्रतिवादीगण को डाक प्राप्त हुई इसका पत्रावली में उल्लेख नहीं है इससे

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रमाणित है कि हम प्रतिवादीगण को न्यायालय के नोटिस की जानकारी नहीं हुई। यदि नोटिस की जानकारी होती तो प्रतिवादीगण अवश्य ही न्यायालय में उपस्थित होते लेकिन प्रतिवादीगण को नोटिस की जानकारी नहीं हुई। इसलिए हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया गया एक तरफा निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे।

14 उपरोक्त एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2019 की जानकारी हम प्रतिवादीगण को जब हुई जब वादीगण ने दिनांक 10.10.2020 को हमारे खेत में आकर हमसे कब्जा देने को कहा तब हमने कहा कि यह खेत हमारा है और हम अपने हिस्से के अनुसार काबिज हैं तो उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रति बतायी और कहा कि उनके पक्ष में निर्णय हो चुका है, तब प्रतिवादीगण ने माननीय न्यायालय से जानकारी करने के बाद दिनांक 16.10.2020 को नकल प्राप्त की तब जानकारी में आया कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 14.08.2019 को एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित हुआ है। इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

15 प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई डिले सद्भाविक है जिसके लिए अलग से प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2019 निरस्त किया जावे । चूंकि हम उपरोक्त कृषि आराजी में संयुक्त खातेदार है और हमें सुना जाना आवश्यक है इसलिए न्याय हित में हमें सुनवाई का एक अवसर दिया जावे। प्रार्थना पत्र हर प्रकार से विधिवत रूप से उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश किया जा रहा है।

16 अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2019 एवं एक तरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 13.06.2019 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17 अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात चारपुरा, तहसील अटरू में स्थित होना स्वीकार है, लेकिन वादीगण ने स्वयं का प्रत्येक के हिस्से 14/33, 14/33 का वाद प्रस्तुत नहीं किया बल्कि 7/33, 7/33 प्रत्येक का राजस्व रेकार्ड में मुजब उनके हिस्से की आराजीयात के बंटवारा वास्ते वाद पेश किया था, शेष तथ्य स्वीकार किये जाने में आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 जिस प्रकार लिखी गयी है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की समुचित तामील हो जाने के बावजूद भी माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है जो विधि सम्मत है तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय कार्यवाही के पश्चात वादीगण की ओर से साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय ने विधि सम्मत डिक्री पारित की है।

18 प्रार्थना पत्र की आधार संख्या 1 पूर्णतया गलत एवं वास्तविक स्थिति के सर्वथा विपरीत है। प्रार्थना पत्र की आधार संख्या 2 अस्वीकार है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय विधि सम्मत है जो किसी भी सूरत में निरस्तनीय नहीं है। प्रार्थना पत्र की आधार संख्या 3 अस्वीकार है, इस बाबत समस्त साक्ष्य माननीय न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जानबूझकर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे एवं बिना वैध आधार के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो किसी भी सूरत में मेंटेनेबल नहीं है। प्रार्थना पत्र की आधार संख्या 4 अस्वीकार है इस मद में वर्णित तथ्य कपोल कल्पित है जो वास्तविक स्थिति के सर्वथा विपरीत है। प्रार्थना पत्र की आधार संख्या 5 में विदित आराजी के संयुक्त खातेदार होना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की आधार संख्या 6 अस्वीकार है। प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अस्वीकार है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

19 वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात के मुताबिक राजस्व रेकार्ड वादीगणों का संयुक्त रूप से 14/33 हिस्सा है। वादीगणों ने अपने हिस्से की आराजी का तकास्मा कराने का वाद पत्र के माध्यम से निवेदन किया था। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हिस्से की आराजीयात पर कोई अनुतोष क्लेम नहीं किया। जिसे माननीय न्यायालय ने भी वादीगण के राजस्व रेकार्ड में वर्णित आराजीयात के बाबत ही प्राथमिक डिक्री पारित की है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हकूक उक्त डिक्री से कतई प्रभावित नहीं होते। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने भी अपने प्रार्थना पत्र में उसके अधिकार प्रभावित नहीं होते।

20 प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने भी अपने प्रार्थना पत्र में उसके अधिकार प्रभावित होने बाबत कोई तथ्य दर्ज नहीं किये लिहाजा प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का यह प्रार्थना पत्र Baseless है और खारिज किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को सम्यक रूप से तामील हो गई थी वे बावजूद सूचना माननीय न्यायालय में उपस्थित न होने पर ही एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये थे जो विधि सम्मत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित एक पक्षीय डिक्री Setaside किये कोई Reasonable & Sufficient Cause दर्ज नही किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य Reasonable & Sufficient Cause नहीं है। लिहाजा एक पक्षीय डिक्री को Setaside किये जाने का आधार नहीं हो सकते। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नहीं है तथा Delay कंडोन किये जाने के कारण समुचित नहीं है।

21 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य वाद पत्र के तथ्यों में मेल नहीं खाते लिहाजा प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थना पत्र सदभावी नहीं है। बल्कि प्रकरण को लम्बायमान करने की नियत से पेश किया गया है। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

22 अतः माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

23 अभिभाषकगण की बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कथन है कि सम्मन की तामील उचित ढंग से नहीं की गई, जिससे उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला। आर्डरशीट दिनांक 09.05.2019 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को सम्मन की तलबी जरिए रजिस्टर्ड ए0 डी. की गई। सम्मन दिनांक 16.05.2019 Speed Post द्वारा तामील हेतु प्रेषित किये गये । Speed Post के साथ सलंगन पावती के अनुसार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का सम्मन की तलबी दिनांक 13.06.2019 को हुई।

24 सभी पावती पर सम्बन्धित पक्षकारान के हस्ताक्षर है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण पर सम्मन की तलबी सी पी सी के आदेश 5 नियम 10 में वर्णित ढंग से ही दिनांक 13.06.2019 को हुई थी। बावजूद उक्त सूचना के उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थीगण/प्रतिवादी कम 1 ल 5 को तीन बार रूक रूक के आवाज लगाई गई लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। फलतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

25 उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 पर सम्मन की उचित तरीके से तलबी की गई तथा सुनवाई का अवसर दिया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. खारिज किया जाता है।

26 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

27 रेस्पोडेंट कम 1, 2 द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी कम 1 ता 5 एवं रेस्पोडेंट कम 3 व 4 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सी पी सी का अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया था कि वादीगण/रेस्पोडेंट कम 1 व 2 ने धारा 53 आर टी ए का संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1845/2803 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 1853 रकबा 4.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 1856/2937 रकबा 0.15 हेक्टर किता 4 कुल रकबा 4.84 हेक्टर माल चारपुरा, तहसील अटरू, जिला बारा स्थित है, का विभाजन करवाने के लिए पेश किया था।

28 जिसमें अपीलार्थीगण की प्रोपर तामील मानकर दिनांक 13.06.2019 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा दिनांक 14.08.2019 को एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में डिक्री पारित करने की तारीख 07.08.2019 अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना सुने, बिना जवाबदेही का अवसर दिये उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।

29 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खिलाफ कानून होने से काबिले निरसतनीय है।

30 अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध, तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करके उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है।

31 अपीलार्थीगण की तामील के बाबत पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं है कि किस दिनांक को अपीलार्थीगण को रजिस्टर्ड ए.डी. की गई तथा किस दिनांक को अपीलार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक प्राप्त हुई। अपीलार्थीगण को कभी भी न्यायालय के नोटिस प्राप्त नहीं हुए हैं। रेस्पोडेंट कम 1 व 2 ने न्यायालय को

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गलत सूचना देकर दिनांक 13.06.2019 को एक तरफा कार्यवाही करवा ली तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2019 को एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में डिक्री पारित करने की तारीख 07.08.2019 अंकित है। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर न करके अपीलार्थीगण के उक्त आवेदन आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सी पी सी को खारिज करने में भारी भूल की है।

32 न्यायहित में अपीलार्थीगण के आवेदन आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सी पी सी को स्वीकार कर उक्त वाद में अपीलार्थीगण को जवाबदेही व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना अति आवश्यक है अन्यथा अपीलार्थीगण न्यायालय में अपना पक्ष रखने से वंचित हो जावेगे एवं अपीलार्थीगण के साथ भारी अन्याय होगा।

33 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2021 की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी क्योंकि कोविड 19 महामारी के कारण लॉक डाउन लगा हुआ था तथा अपीलार्थीगण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सके थे। दिनांक 15.06.2021 को जब अपीलार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। तब अधिवक्ता ने बताया कि लॉक डाउन के समय तुम्हारी पत्रावली फैसल हो चुकी है तथा तुम्हारा आवेदन खारिज कर दिया है। इस पर अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 16.06.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में नकल निर्णय व डिक्री प्रापत करने का आवेदन पेश कर अपीलार्थीगण ने नकले प्राप्त की। अस्तु जानकारी से अपील अवधि मध्य माननीय न्यायालय में पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से पेश कर दिया गया है।

34 अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमा कर आदेश दिनांक 22.04.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू बउनवान मुकदमा कमलाबाई वगैराह बनाम सुशीला वगैराह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

13 तथा धारा 151 जा0 दी0 प्रकरण संख्या 32/2017 निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे कि वह अपीलार्थीगण के आवेदन आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सी पी सी को स्वीकार कर उक्त वाद में अपीलार्थीगण को जवाबदेही व सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय व डिक्री पारित करें।

35 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.06.2021 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

36 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

37 हमने विद्वान योग्य अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

38 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

39 अपीलांट ने अपनी अपील में कहा है कि अपीलार्थीगण को बिना सुने, बिना जवाबदेही का अवसर दिये उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 13.06.2019 में अंकित है कि अभिभाषक वादीगण उपस्थित एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को सम्मन की तामील हो चुकी है। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए और रूक रूक कर तीन बार आवाजें लगवायी गई फिर भी उनकी और से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध दिनांक 13.06.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई और दिनांक 14.08.2019 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गई, जो पूर्ण रूप से उचित है।

40 अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 22.10.2020 में अंकित है कि पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित । प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 की ओर से श्री विनोद प्रताप सिंह एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी का पेश कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2019 एवं एक तरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 13.06.2019 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया जिसे दिनांक 22.04.2021 को खारिज किया गया।

41 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि दिनांक 13.06.2019 प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को सम्मन की तामील हो चुकी है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

42 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2021 यथावत रखा जाता है ।

43 निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा